न्यायालय राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प दीगोद, जिला कोटा

मि0 न0 114/22 | तारीख दायरा 18.08.2022 | तारीख फेसला ....

मुरता उर्फ मोलन्ता बाई पुत्री रामकल्याण पत्नि ओमप्रकाश जाति गुर्जर निवासी धनसुरी तहसील दीगोद जिला कोटा हाल निवास वाक्या तहसील दीगोद (वादी)

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा (प्रतिवादीगण)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा ,88,89 राज0 टीनेन्सी एक्ट बावत इन्द्राज दुरूस्ती

उपस्थित:–
वादीगण की और से -- श्री भारत शर्मा
प्रतिवादीगण की और से :– तहसीलदार दीगोद

–: निर्णय :–

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम धनसूरी तहसील दीगोद में वादनी के शामलाती खातें में खाता संख्या 19 खसरा नम्बर 152 रकबा 2.11 है0, 222 रकबा 0.92 है0, 272 की 1.93 है0, 299 की 0.78 है0, 337 की 0.15 है0, 340/497 रकबा 0.04 है0, 359 की 0.08 है0, 414 की 0.26 है0, कुल किता 8 रकबा 6.27 है0 भूमि स्थित चली आ रही है। जिसमें वादनी का नाम मुरता दर्ज है। जमाबंदी सम्वत 2073–2076 संलग्न है। यह कि वादनी का नाम नामा0 दर्ज करते समय घर पर बोलते नाम मुरता के नाम से नामा0 दर्ज कर दिया गया है जब कि वादनी का वास्तविक नाम मोलन्ता बाई है तथा समस्त दस्तावेजो में भी वादनी का नाम मोलन्ता बाई हे जिसमें वादनी को सरकारी योजनाओं में किसान केडिड कार्ड आदी लेने में परेशानी आ रही है जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। यह कि उक्त वादनी का नाम आधार कार्ड, पहचानप पत्र, राशन कार्ड पेन कार्ड, बैंक डायरी, अंकतालिका आदि में वादनी का नाम मोलन्ता बाई है वादनी का नाम ग्राम धनसूरी की जमाबंदी में मुरता होने से सरकारी योजनाओं का लाभ व भूमि सुधार के लिये किसान केडिड कार्ड लेने से वंचित हो रही है वादनी को दस्तावेजो के आधार पर अपना नाम दुरूस्त कराने का कानूनन अधिकार है। इस लिये वादनी का नाम दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। अतः वाद पत्र पेश कर वादी ने निवेदन किया है कि ग्राम उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड वादनी का नाम मुरता के स्थान पर मोलन्ता बाई दर्ज किये जाने और राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने की प्रतिवादी के विरूद्व आज्ञा व डिकी पारित की जावे।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तवली विधिवत करवायी गई।

3. प्रतिवादी तहसीलदार दीगोद द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा में पटवारी हल्का बिसलाई की रिपोर्ट अनुसार ग्राम धनसुरी की जमाबंदी सम्वत् 2073–76 खाता सख्या 19 में मुरता पुत्री रामकल्याण जाति गुर्जर हिस्सा 1/8 सा देल खातेदार राजस्व रिकार्ड दर्ज है। मुरता बाई उर्फ मोलन्ता बाई पुत्री रामकल्याण

सदस्य
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद जिला कोटा (राज.)

सदस्य
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद जिला कोटा (राज.)

[illegible]
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

पत्नि ओमप्रकाश जाति गुर्जर की जांच पटवारी द्वारा करवायी गयी जिसमें ग्राम वासियान द्वारा मुरता उर्फ मोलन्ता दोनो एक ही महिला के होना बतया है। ग्राम धनसुरी की जमाबंदी सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 19 में मुरता पुत्री रामकल्याण जाति गुर्जर हिस्सा 1/8 के स्थान पर मुरता उर्फ मोलन्ता बाई दर्ज करने की अनुशंषा की जाती है।

4. वादनी के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादी के अधिवक्ता ने बहस के दौरान वाद पत्र में अंकित बिन्दूओं को दोहराते हुए कथन किया ग्राम धनसूरी तहसील दीगोद में वादनी के शामलाती खातें में खाता संख्या 19 खसरा नम्बर 152 रकबा 2.11 है0, 222 रकबा 0.92 है0, 272 की 1.93 है0, 299 की 0.78 है0, 337 की 0.15 है0, 340/497 रकबा 0.04 है0, 359 की 0.08 है0, 414 की 0.26 है0, कुल किता 8 रकबा 6.27 है0 भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादनी का मुरता दर्ज है जो गलत है। वादनी का नाम मोलन्ता है। अतः वादनी का नाम मुरता के स्थान मोलन्ता उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

5. वादनी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में मौखिक साक्ष्य के रूप में स्वयं का शपथ पत्र एवं दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबंद ग्राम धनसुरी सम्वत् 2073–76, छायाप्रति राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, बैंक डायरी, पेन कार्ड पेश किये गये।

6. प्रतिवादी तहसीलदार दीगोद ने बहस के दौरान स्वयं उपस्थित होकर जवाब दावा में अंकित बिन्दूओं को दोहराते हुए कथन किया कि वादी नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त करने में किसी प्रकार की आपत्ति नही होना अंकित किया है।

7. प्रकरण में वादनी पक्ष के अधिवक्ता की बहस तथा प्रस्तुत जवाब सरकार एवं राजस्व रिकार्ड एवं पत्रावली में उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का गहन अध्ययन अवलोकन किया गया। पेश दस्तावेज व मौखिक साक्ष्य के अधार पर राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम मुरता के स्थान पर मोलन्ता बाई किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

8. अतः वादनी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम धनसूरी तहसील दीगोद में वादनी के शामलाती खातें में खाता संख्या 19 खसरा नम्बर 152 रकबा 2.11 है0, 222 रकबा 0.92 है0, 272 की 1.93 है0, 299 की 0.78 है0, 337 की 0.15 है0, 340/497 रकबा 0.04 है0, 359 की 0.08 है0, 414 की 0.26 है0, कुल किता 8 रकबा 6.27 है0 के राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम मुरता के स्थान पर मोलन्ता बाई दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फेसल शुमार एवं नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.12.2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प दीगोद में मजमें आम में सुनाया गया।